मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 20–09–2012 को सम्पन्न बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कार्य–कलापों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

---

1. उपस्थिति संलग्न।
2. इस बैठक में मुख्यतः दिनांक 14.09.2012 को जिलाधिकारियों के साथ वितरण संबंधी बिजली की समस्याओं के बारे में विडियो कांफ्रेन्सिंग के दरम्यान उठाये गये बिन्दुओं पर चर्चा की गयी। पाया गया कि विद्युत बोर्ड में शक्तियों को अत्यधिक केन्द्रीकरण कर दिया गया है जिसे दूर करने की आवश्यकता है।
3. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा प्रमंडल स्तर पर पदस्थापित विद्युत कार्यपालक अभियन्ताओं को सरकारी कार्य प्रमंडलों की तरह वित्तीय शक्तियाँ दी जाए। कार्यमद की निधि सीधे कार्यपालक अभियन्ता को दी जाए तथा भुगतान वही करें। इसमें अंचल की कोई भूमिका न हो। इसी प्रकार प्रमंडल में पदस्थापित पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतनादि हेतु निधि सीधे कार्यपालक अभियन्ता को दी जाए तथा उसका भुगतान भी वही करें। अंचल से भुगतान की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त किया जाए।
4. उपरोक्त निर्णयों को लागू होने के लिए प्रमंडल स्तर पर कम्प्यूटर एवं डाटा इंट्री ऑपरेटर की भी व्यवस्था की जाए।
5. प्रमंडल स्तर पर लेखा अधिकारी/सहायकों को पदस्थापित किया जाए। विभिन्न प्रयोजनार्थ Revolving Fund सीधे कार्यपालक अभियन्ता के नियंत्रण में दिया जाए जिसकी उपयोगिता पर विद्युत अधीक्षण अभियन्ता तथा महाप्रबन्धक–सह–मुख्य अभियन्ता द्वारा अपेक्षित निगरानी रखी जाए। परन्तु व्यय के लिए पूर्वानुमति की शर्त्त किसी भी कीमत पर नहीं रखी जाए।
6. ट्रान्सफॉरमर की ढुलाई की दर को वर्त्तमान मजदूरी एवं डीजल के मूल्य के आधार पर महँगाई सूचकांक के अनुसार निर्धारित किया जाए तथा इस आधार पर बोर्ड द्वारा schedule rate शीघ्र तय कर सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को सूचित किया जाए।
7. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ट्रान्सफॉरमर ढुलाई के लिए स्थानीय मुखिया को बोर्ड द्वारा निर्धारित schedule rate पर दायित्व देने के लिए जिलाधिकारियों से अगले विडियो कांफ्रेन्सिंग में चर्चा की जाए।

8. नये ट्रान्सफॉरमर के भंडारण के लिए भंडार का विकेन्द्रीकरण किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रमण्डलों में नये ट्रान्सफॉरमर का भंडारण किया जा सके।

9. ऐसी जगहों के लिए जहॉ बोर्ड की अपनी जमीन है तथा कम लागत पर ट्रान्सफॉरमर रिपेयर वर्कशॉप चालू किया जा सकता है, रिपेयर वर्कशाप लगाने का प्रस्ताव 30.09.2012 तक बोर्ड द्वारा ऊर्जा विभाग को भेजा जाना है। स्वीकृति के छः महीने के अन्दर ट्रान्सफॉरमर रिपेयर वर्कशॉप का निर्माण कार्य पूरा कर ट्रान्सफॉरमर रिपेयर का कार्य शुरू किया जाए। ट्रान्सफॉरमर मरम्मति की गुणवता को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया जाए ।

10. वर्तमान में कार्यरत सात ट्रान्सफॉरमर रिपेयर वर्कशॉप में जहॉ भी विस्तार संम्भव है, वहॉ वर्कशॉप की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा जाए ।

11. पावर ट्रान्सफॉरमर/डिस्ट्रीव्यूसन ट्रान्सफॉरमर की मरम्मति का कार्य बाह्य एजेन्सियों से कराने के लिए व्यवस्था का कंट्रैक्ट दिसम्बर, 2012 तक तय कर लिया जाए। यथा सम्भव प्रत्येक प्रमंडल में ट्रांसफॉरमर मरम्मति की व्यवस्था की जाए ।

12. नये ट्रान्सफॉरमर रिपेयर वर्कशॉप की जगह चयन करते वक्त इसका ख्याल रखा जाए की वह वर्तमान में अवस्थित भण्डार के नजदीक हो ।

13. ट्रान्सफॉरमर बदलने के लिए तथा सरकारी योजनाओं तथा कार्यालयों सहित सभी नए कनेक्शन देने की स्वीकृति की शक्तियों को विकेन्द्रीकृत किया जाए।

14. बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि आर0–ए0पी0डी0आर0पी0/ए0डी0बी0 वाले 71 शहरों में भी जर्जर तारों को, खास कर जिससे दुर्घटना संभावित हो उसे प्राथमिकता देते हुए, स्वयं बदला जाना है। इसके लिए ए0पी0डी0आर0पी0/ए0डी0बी0 परियोजना का इन्तजार नहीं करना है। आर0–ए0पी0डी0आर0पी0 पार्ट बी0 के अन्तर्गत काम शुरू हो जाने पर वैसे शहरों में जर्जर तार बदलने का काम परियोजना अन्तर्गत एजेन्सी द्वारा किया जाएगा ।

15. मुख्य सचिव द्वारा यह निर्देश दिया गया कि 71 शहरों में (आर0–ए0पी0डी0आर0पी0–64 एवं ए0डी0बी0–7) रिकंडकटरिंग के लिए जर्जर चिन्हित तारों को प्राथमिकता पर बदलने के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में

बनायी गई टास्क फ़ोर्स कार्य करे। यह टास्क फोर्स हीं प्राथमिकता तय करे जिसके अनुसार तार बदले जाएँ । टास्क फोर्स प्रगति की समीक्षा करे ।

16. वर्तमान में मीटर रिडिंग तथा विपत्र का वितरण एक एजेन्सी द्वारा किया जाता है तथा विपत्रीकरण दूसरे एजेन्सी द्वारा किया जाता है। मीटर रिडिंग एवं विपत्रीकरण एक ही एजेन्सी द्वारा किया जाना उचित रहेगा। Tablet P.C. द्वारा एजेन्सी द्वारा मीटर रीडर डाटा को सेन्ट्रल सर्वर में अपलोड किया जा सकता है। वर्तमान में बिलिंग एजेन्सी द्वारा उनके द्वारा विकसित सॉफटवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। बोर्ड द्वारा अपना सॉफटवेयर जल्द ही विकसित कर लिया जाएगा । Random basis पर बोर्ड के अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रतिशत डाटा को चेक करने की सुविधा साफटवेयर में रहनी चाहिए ।

17. बोर्ड द्वारा वैसे कर्मचारियों को , जो 25 वर्षों की सेवा या 50 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हों, उनकी सेवा की पुर्नसमीक्षा की जाए तथा अयोग्यता एवं असंतोषप्रद कार्य–कलाप की स्थिति में नियमानुसार अनिवार्य सेवा निवृत्ति की कार्रवाई की जाए।

18. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को पॉच कम्पनियों में पुनर्गठन के संबंध मं वर्तमान में परिसम्पति एवं देयता (assets & liabilities) के ट्रान्सफर आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की जायेगी। नये कम्पनियों को कार्यरत होने के लिए एक समय सारणी तैयार कर समर्पित की जाए।

19. नये कम्पनियों के लिए निदेशक –मंडल एवं नये पदों पर नियुक्ति के लिए एच0 आर0 पॉलिसी की स्वीकृति शीघ्र मंत्रिमंडल से प्राप्त की जाए।

20. ऊर्जा विभाग को सुदृढ़ किया जाए तथा एक अनुश्रवण प्रकोष्ट (Project Preparation and Monitoring Cell) स्थापित किया जाए। कम–से–कम तीन परामर्शी के पद ऊर्जा विभाग के लिए, एक पद मुख्य सचिव के प्रकोष्ट के लिए तथा एक पद मुख्यमंत्री सचिवालय के लिए सहायक कर्मियों के साथ सृजित किया जाए। नियुक्ति के लिए अर्हता तय की जाए। इनकी सेवा सर्विस प्रोभाईडर

के माध्यम से ली जा सकती है। प्रधान सचिव (ऊर्जा) द्वारा प्राधिकृत समिति को प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत किया जाए ताकि मंत्रिमंडल की स्वीकृति ली जा सके।

21. अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा बोर्ड की नाजुक वित्तीय स्थिति की चर्चा की गयी तथा यह बताया गया कि कुल 1160 करोड़ रूपया विभिन्न विद्युत प्रतिष्ठानों का बिजली क्रय का बकाया है तथा कम–से–कम 450 करोड़ रूपया 30.09.2012 तक विभिन्न विद्युत प्रतिष्ठानों का 60 दिनों से ज्यादा अवधि के बकाये का भुगतान (रिसोर्स गैप के 180 करोड़ रूपये के अलावा) किया जाना है अन्यथा विभिन्न ऊर्जा प्रतिष्ठानों द्वारा बिजली आपूर्त्ति में कटौती कर दी जायेगी। यह आग्रह किया गया कि वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में सुखाड़ के कारण अतिरिक्त बिजली की आपूर्त्ति करने के मद में शेष 382.83 करोड़ रूपया कृषि विभाग द्वारा दिये जाने का निर्णय मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 14.06.2012 को लिया जा चुका है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि प्रधान सचिव (कृषि) के साथ बैठक के लिए अविलंब तिथि निर्धारित की जाए।

22. पटना विश्वविद्यालय के बिजली बकाये के मद में 39 करोड़ रूपये के भुगतान के बारे में सचिव (व्यय), वित्त विभाग ने बताया कि वित्त विभाग द्वारा इसकी समीक्षा की जा चुकी है तथा माननीय उप मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री) की स्वीकृति उनके विदेश दौरे से लौटने के बाद प्राप्त की जायेगी।

बिहार सरकार,
ऊर्जा विभाग

(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव
पटना, दिनांक- 4 अक्टुबर, 2012

ज्ञापांक-प्र0-2/बोर्ड बैठक्'-24/2009(खण्ड-I) 4557

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/10/12
सरकार के संयुक्त सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कार्य-कलापों की समीक्षात्मक बैठक ।

दिनांक : 20/09/2012

उपस्थिति :-

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री ए0 के0 सिन्हा	मुख्य सचिव	
2	श्री फूल सिंह	विकास आयुक्त	
3	श्री सी0 अशोक वर्द्धन	प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	
4	श्री रामेश्वर सिंह	प्रधान सचिव, वित्त विभाग	
5	श्री अजय नायक	प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग	
6	श्री हुकुम सिंह मीणा	सचिव-सह-निदेशक, भू-अर्जन	
7	श्री पी0 के0 राय	अध्यक्ष, बिहार रा0 वि0 बोर्ड	
8	डा0 राणा अवधेश	सदस्य (प्रशासन), बिहार रा0 वि0 बोर्ड	
9	श्री विनायक चन्द्र गुप्ता	सदस्य (वित्त एवं राजस्व), बिहार रा0 वि0 बोर्ड	
10	श्री ललन प्रसाद	सदस्य (उत्पादन), बिहार रा0 वि0 बोर्ड	
11	श्री टुन टुन झा	सदस्य (संचरण), बिहार रा0 वि0 बोर्ड	
12.	डी चक्रवर्ती	CEO NPGC	
13.	[illegible]	[illegible] (व्यय)	
14	महेश्वर पासवान	विशेष सचिव, रा. एवं भू. सु. विभाग	
15	[illegible]	[illegible]	